

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)  
E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक 1589 / वनशक्ति

दिनांक 15 / 9 / 2016

सेवामें,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुरोला।

हनाकेमक  
सदकारे  
गुवाके  
H.A.

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित वनभूमि 5.6325 है0 वनभूमि (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 417 / 12-1 दिनांक 24 / 8 / 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगाई अपत्तियों का निराकरण करते हुये संगत बिन्दुवार संलग्नक/आख्या निम्नवत है :-

आपत्ति	निराकरण
1-The total area of village wise breakup does not match with the area proposed for diversion in part1.The State Govt may do the necessary correction.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है।
2-The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated digital map without showing geo-coordinates which is not acceptable.The State Govt. may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on excat to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part1.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है पृथक से अलाईमेंट के जियो रिफरेंस डिजिटल मैप की कापी एक प्रति में संलग्न है।
3-The State Govt.may provide /upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265 ha providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.The Google earth map will no accepted for the purpose.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है पृथक से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पालीगोन ऐरिया के के कोर्डिनेटस् जियो रिफरेंस डिजिटल मैप पर अंकित कर दी गयी है। (प्रति संलग्न)
4-The State Govt may provide/upload correct KML file for CA in part-II	ऑनलाईन प्रस्ताव में ठीक कर दी गयी है।
5-The state Govt may review the density of the area in view of the numer of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part-II	प्रस्तावित समरेखण में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 325 है, एवं जिसका घनत्व 0.6 है। एवं प्रस्ताव के प्रारूप 50 में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटीवश 5.220 है0 अंकित हो गया था जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 5.6325 है0 है। हार्ड कापी में एन0पी0वी0 की धनराशि 4410900.00 त्रुटीवश दर्शायी गयी थी जबकि एन0पी0वी0 की वास्तविक धनराशि 4759462.50 आती है। जिसे ऑनलाईन प्रस्ताव में ठीक कर दिया गया है पार्ट-1। में उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला द्वारा भरी जानी है। (अतिरिक्त संलग्नक के रूप में एन0पी0वी0 प्रमाण पत्र संलग्न)
6-In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms Cost over Benefit ratio may also be worked out.	संलग्न है।

04  
AS

<p>7-Employment details provided in online part-I is seems to be incorrect the State Govt. May review the information and provide correct information if required.</p>	<p>खण्डीय स्तर पर पूर्व में नियमित अधिकारी/कर्मचारी होने के कारण नियमित रोजगार दिवसों की संख्या का आकलन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। अपितु परियोजना के पूर्ण होने में अस्थाई 19716 रोजगार दिवस पैदा होने की सम्भावना होगी।</p>
<p>8- The CA scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.44ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion ie 11.265ha. The State Govt. may Provide revised CA scheme and upload the same in online part-II</p>	<p>खण्डीय स्तर पर पार्ट-। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11.265 है0 दोगुने अवनत क्षेत्रफल का जियो रेफरेन्स मैप, खसरा खतौनी इत्यादि ऑनलाईन अपलोड की गयी है। जबकि पार्ट-।। में आपके द्वारा 10.44 है0 ऑनलाईन अपलोड किया गया है कृपया पार्ट-।। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्रफल 11.265 है0 करने का कष्ट करें।</p>
<p>9- Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2005 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.</p>	<p>प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2454/।।।(2)/05-07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28 अक्टुबर 2005 के द्वारा 9.00 किमी0 लम्बाई हेतु 221.80 लाख की प्राप्त है, के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस मार्ग का 7.425 किमी0 लम्बाई में 3.745 है0 (7.60 मी0 चौड़ाई में)वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया था, जिसे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/43/2012/एफ0सी0/674 दिनांक 31/8/2012 द्वारा प्रकरण में सिविल सोयम भूमि को राज्य सरकार द्वारा Denotify कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति को गैर कानूनी है एवं मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एवं सिविल सोयम भूमि मे किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाय सूचित किया गया है। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र सं0 11/मिस0/बन्द/1146/यू0सी0पी0/11/1308 दिनांक 12 फरवरी 013 के द्वारा प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द/निरस्त किया गया है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघन नहीं हुआ है। वर्तमान में इस मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीणों की पुनः मांग एवं वनभूमि एवं वृक्षों हानी को न्यूनतम करते हुये मार्ग का पुनः संशोधित समरेखण किया गया एवं वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को वर्तमान में प्रचलित 2014 की मार्गदर्शिका के अनुसार पुर्नजीवित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के विकास एवं सम्बन्धित ग्राम को यातयाता की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुये उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें</p>
<p>10- As per tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10cm and the value should come 281 in online part II but the number of these proposed to be felled in online part II is 313 the state Govt. may rectify the same and give correct details in online Part II</p>	<p>प्रस्ताव के प्रारूप 20.1 में वृक्षों की सं0 325 है एवं 0-10 से0मी0 व्यास के वृक्षों की सं0 44 है, शेष 281 वृक्ष ही पार्ट-।। में आपके द्वारा भरे जाने हैं। परन्तु आपके द्वारा ऑनलाईन पार्ट-।। में 313 वृक्षों की प्रवृष्टि की गयी है। कृपया पार्ट-।। में अपने स्तर से सही करने का कष्ट करें।</p>
<p>11-The CA stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district the State Govt. may do the necessary correction in online Part II in the district profile and give complete and correct detail with proper justification of poor progress of CA in additional document if required</p>	<p>आपसे सम्बन्धित है।</p>
<p>12-The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible the state Govt may upload the clear visible copy of the map.</p>	<p>पार्ट-।। में प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण हेतु परिवर्तित समरेखण को नीले रंग से दर्शाया गया है। जिसे पुनः स्कैन करने के उपरान्त ऑनलाईन अपलोड किया गया है।</p>

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वॉच्छित बिन्दुओं का अवलोकन करने के उपरान्त सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

अधिशपसी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, (उत्तरकाशी)

Email- dfo\_tons@yahoo.co.in ☎/Fax- 01373-223328

पत्रांक 633/12-1

दिनांक, पुरोला, उत्तरकाशी 28/09/2016

सेवामें,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 5.6325 है० वन भूमि (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 389/12-1-(1) दिनांक 11 अगस्त 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार कर लिया गया है। जिसकी प्रति आपको संलग्न कर ई०डी०एस० के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या- 1 से 7 तथा 9 एवं 12 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण लो०नि०वि० पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 1589/वन भूमि दिनांक 15-09-2016 के अनुसार कर ली गयी है, जिसकी प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


बिन्दु संख्या 8- इस प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्रफल 11.265 है० के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलन कर अपलोड कर ली गयी है तथा एक प्रति ई०डी०एस० के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 10- प्रस्ताव के प्रारूप 20.1 में वृक्षों की संख्या 325 है एवं 0-10 सेमी० व्यास के वृक्षों की संख्या 44 है, शेष 281 वृक्ष पार्ट-11 में ऑन लाईन भर दिए गये है।

बिन्दु संख्या 11- का निराकरण ऑनलाईन कर लिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


  
उप वन संरक्षक,  
टौंस वन प्रभाग, पुरोला।


परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच  
थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।


एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई  
दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लेखित व्यवस्था  
के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी	:-	V
2. हरियाली का घनत्व	:-	0.6
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	:-	845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	:-	5.6325 ha.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	:-	4759462.50

  
वन अधिकारी  
टैन्स वन प्रभाग,  
पुरोला

  
वन क्षेत्राधिकारी  
कोटीगाढ रेंज

  
उप वन संरक्षक  
टैन्स वन प्रभाग,  
पुरोला